

24/23 ~~मन्त्रालय~~ ~~मन्त्र~~ ~~द्वारा~~ ~~अ~~ ~~की~~ ~~ले~~ ~~मन्त्रालय~~
~~उपस्थित~~ ~~मन्त्रालय~~ ~~के~~ ~~जवाब~~ ~~प्रो.पुस~~
~~के~~ ~~समक्ष~~ ~~है~~, ~~जिस~~ ~~पर~~ ~~अन्तिम~~ ~~प्रतिक्रिया~~
~~के~~ ~~द्वारा~~ ~~किस~~ ~~के~~ ~~अन्तिम~~ ~~प्रतिक्रिया~~ ~~है~~

दिनांक
हुक्म

कार्यवाही

लगातार 20 ग्राह्य कारीगरी होने के बाद भी
निरंतर जारी कारीगरी के जारी करने
हेतु या उस पर नहीं किया है अतः बाद
स्वार्थित प्रमाण प्राप्त।

इसने उपर्युक्त प्रमाणों को बतला
सुनी तथा प्रमाणों को जो प्रमाणों को भी
आदेश - 22 नियम - 4 सी.पी.सी. के तहत
जारी की हल्के ही जाने पर 30 दिनों के अंदर
जारी के कारीगरी को जारी की जाये जारी करने
के लिए या-उस पर जारी प्रमाणों पर जो जारी
जारी को जारी की हल्के की सुचना होने के बाद
पेश नहीं किया। या जारी की हल्के 27.5.21 को
होने से जारी 20 ग्राह्य से अधिक समय होने तक
की अधिक प्रमाणों निकल जाने के बाद जो उपर्युक्त
होने प्रमाण प्राप्त जारी है अतः, प्रमाणों से
बाद को आदेश - 22 नियम - 4 (3) सी.पी.सी. के
अनुसार स्वार्थित प्रमाण उपर्युक्त प्रमाणों है अतः
बाद जारी स्वार्थित प्रमाण जारी है प्रमाणों के प्रमाण
सुचारु होकर बाद प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण
है।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़